भज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर.

दिग्वेन्द्र सिंह बनाम ग्राम पंचायत, मसूदा व अन्य ।
किस्म मुकदमा–225 राज.काश्तकारी अधिनियम
अपील संख्या 07/2023 (मसूदा)

खारिज
25/01/23

	श्री जी0एस0लखावत एडवोकेट	
	दिग्वेन्द्र सिंह बनाम ग्राम पंचायत, मसूदा वगैरह	
02.01.2023	यह अपील श्री जी.एस.लखावत एड़वोकेट ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा प्रकरण संख्या 138/2022 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2022 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151जा.दी. पेश किया गया। जिस पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. हेतु रिजर्व रखा जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
09.01.2023	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. हेतु पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. पर अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 02.01.2023 को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के न्यायालय द्वारा ही सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ बाबत् आदेश पारित किया गया था जिसमें ग्राम पंचायत, मसूदा पक्षकार है, इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा सीमा ज्ञान व पत्थरगढ़ के आदेश की अनुपालना शेष रहते हुए नक्शें की त्रुटि से भ्रम की स्थिति रहते हुए जानबूझ कर अपीलार्थी की भूमि में निर्माण कार्य करने हेतु कार्यवाही की जाने लगी, यह समस्त तथ्य स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान व अभिलेख पर रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपने में निहित पदीय शक्तियों का समुचित प्रयोग नहीं कर जो मनमाना आदेश दिनांक 27.12.2022 को पारित है वह विधि सम्मत नहीं है। अभिभलेख पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से यह सन्देह से परे सावित है कि स्वयं तहसीलदार, मसूदा द्वारा इस आशय का पत्र जिला कार्यालय को लिखा गया कि नक्शा सेग्रिगेशन के समय तरमीम शीट को आपस में जोड़ने से भूमि की आकृति अर्थात नक्शों में परिवर्तन हुआ है तथा अपीलार्थी को पत्थगरढ़ी बाबत् भी यही कहॉ गया कि शीटे सही होने के बाद भूमि की पत्थरगढ़ करवायी जायेगी, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का अन्तरिम अनुतोष बाबत् प्रकरण पूर्णतया विधि सम्मत है तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूर्तनीय क्षति का विन्दू अपीलार्थी के पक्ष में हैं। ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है तथा यदि मौके पर निर्माण कार्य कर दिया जायेगा तो प्रार्थी को वांछित अनुतोष प्राप्त करने में भारी परेशानी का सामनां करना पड़ेगा इस कारण अपील के लम्बित रहते वादग्रस्त भूमि के मौके की यथास्थिति बाबत् आदेश प्रदान किया जाना विधि सम्मत होगा। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा में वर्णित वादग्रस्त भूमि के मौके की यथास्थिति ताफैसला अपील यथावत् रखने बाबत् आदेश प्रदान करावें तथा ग्राम पंचायत, मसूदा को पाबंद किया जावें कि मौके पर किसी प्रकार का निमार्ण कार्य नही किया जावे। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन	

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

दिग्वेन्द्र सिंह बनाम ग्राम पंचायत, मसूदा व अन्य ।

किस्म मुकदमा–225 राज.काश्तकारी अधिनियम

अपील संख्या 07/2023 (मसूदा) R10 प्रदीप सिसोदिया

जी.एस. लावाल विकास पाराशर, R1, 2, 3

किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति, प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हम अन्तरिम स्थगन को निर्णित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन करना एवं रेस्पोडेन्टस को सुनना न्यायहित में उचित समझते है।

अतःरेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 10 को नोटिस जारी किये जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 17.01.23 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

17.1.23 पत्रावली पेश हुई अभिभाषक अपी. उपस्थित। अधी. न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त हो चुका है। रेस्पो. 1 की ओर से श्री विकास पाराशर एड. ने व रेस्पो. 10 की ओर से श्री प्रदीप सिसोदिया एड. ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पो. 2, 3 की ओर राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक अपी. ने प्रार्थना पत्र पेश किया, जो शामिल पत्रावली हो। पत्रावली मय प्रार्थना पत्र रेस्पो. पक्ष की तामील हेतु ... व अग्रिम कार्यवाही दिनांक 19.1.23 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

मिसल/नोटिस 73/75-77

मिसल ACM/SO मसूदा की फाइल सं. 138/2020 ... मसूदा शामिल पत्रावली किया

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

श्री — श्री

दिग्वेन्द्र सिंह बनाम ग्राम पंचायत मसूदा व अन्य (7/2023)

19.1.23 पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र (रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 09 तलबी बंद कने बाबत्) एवं बहस अपील प्रस्तुत हुई। प्रार्थना पत्र व अपील पर अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु रिजर्व रखी जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

25.1.23 पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र (रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 09 तलबी बंद कने बाबत्) एवं आदेश अपील प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को दिनाक 19.01.2023 को सुना गया।

सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र(रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 09 तलबी बंद कने बाबत्) का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील मे मुख्य विवाद अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 के मध्य ही है शेष रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 09 तरतीबी प्रत्यर्थीगण होकर फोरमल पक्षकार है इस कारण विचाराधीन अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लगायत 09 की तलबी की आवश्यकता नही होने से इनकी तलबी बंद की जाकर प्रकरण की सुनवाई किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 09 की तलबी बंद की जाकर अपील की सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अपील अपीलांट ने प्रस्तुत की है जब उनको शेष रेस्पोडेन्टस के मध्य विवाद नही था तो उनको शेष रेस्पोडेन्टस को पक्षकार संयोजित नहीं करना चाहिए। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक उभयपक्ष के पक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी/अपीलांट ने अपील में मुख्य विवाद अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 के मध्य ही है शेष रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 09 तरतीबी प्रत्यर्थीगण होकर फोरमल पक्षकार है इस कारण विचाराधीन अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लगायत 09 की तलबी की आवश्यकता नही होने से इनकी तलबी बंद की जाकर प्रकरण की सुनवाई किये बाबत् यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः **विवाद अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 03 के बीच होने से न्यायहित में शेष रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 09 की तलबी बंद किये जाने के आदेश दिये जाते है।**

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को अपील पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अपीलांट/वादी संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य है एवं हिन्दू परिवार की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3586–3587 एवं 3588 ग्राम मसूदा तहसील अजमेर जिला अजमेर में स्थित है, जिसके अपीलांट/वादी खातेदार एवं काबिज है खातेदारी अधिकारों आदि से सम्बन्धित दस्तावेज मूल वाद के साथ सलंग्न है। प्रार्थना पत्र के साथ तीन नक्शा क्रमांक ए.बी. एवं सी सलंग्न है, नक्शा–ए

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
पेशी	श्री ... श्री ...

तहसील द्वारा जारी किया गया है, जिसकी प्रति वादी को 08 जुलाई–1999 को प्राप्त हुई जिसमें हमारी भूमि के पश्चिमी दिशा में सड़क दर्शाई गई है तत् समय यह सडक 12 फुट की थी एवं एवं अपीलांट/वादी की भूमि एवं सड़क के मध्य एक पट्टी खसरा नम्बर 3578 की थी। जो कालांतर में ग्राम पंचायत के हित में आबादी घोषित की गई, नक्शा–बी, सन् 2022 में प्राप्त हुआ है जिसके अन्दर अपीलांट/वादी खसरे की स्थिति के अनुसार उक्त सड़क 100 फुट के मध्य आबादी भूमि को दर्शाया गया है 2022 में प्राप्त नक्शा और 1999 में प्राप्त नक्शों दोनो का रकेल या पैमाना अलग–अलग है तुलना करने की दृष्टि से 2022 को 1999 के नक्शे के आधार पर तैयार करवाया गया है जो नक्शा–सी है मे अपीलांट/वादी भूमि दिखाई गई है वह गुलाबी रंग से है जबकि ग्राम पंचायत की भूमि हरे रंग से दर्शाया गया है इसी प्रकार नक्शे बी में भी अपीलांट/वादी भूमि को गुलाबी रंग से दर्शाया गया है अब आसानी से तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है क्योंकि अब दोनो पैमाना एक ही है। पूर्व में जो सड़क 12 फुट की थी वर्तमान में 100 फुट की हो गई थी अतः सड़क के आधार पर तुलना करना या माप लेना उचित नही होगा परन्तु अपीलांट/वादी खसरा नम्बर 3586 जो कि कुँआ है उसको स्थान ना तो परिवर्तन हुआ है ना ही हो सकता है अतः उसको मानकर तुलनात्मक अध्ययन करना ही उचित एवं न्यायपूर्ण होगा इस हेतु पूर्व के नक्शा संख्या 1 को संशोधित नक्शा–सी पर सुपर इंपोज करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम पंचायत की वह आबादी भूमि जो पूर्व में 12 फुट की सडक एवं अपीलांट/वादी खसरे के मध्य थी वह पूर्ण रूप से अब सड़क का हिस्सा बन गई है। अपीलांट/वादी खसरा एवं सडक के मध्य कोई आबादी भूमि वर्तमान में शेष नहीं रहती है ऐसी स्थिति में नक्शा–बी मे जो आबादी भूमि एवं सड़क के मध्य दर्शायी गई है वह त्रुटि पूर्ण एवं गैर कानूनी है जिसकी पुष्टि तहसील मसूदा के दवा द्वारा सीमांकन एवं माप चौक हेतु की गई कार्यवाही कि मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 18.11.2022 से भी होती है जिसकी प्रति संलग्न है मूल प्रति वाद के साथ प्रस्तुत की जा चुकी है। जो प्रस्तावित निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है वस्तुतः अपीलांट/वादी भूमि में है, हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा में नक्शा संशोधन एवं सही सीमांकन हेतु प्रस्तुत कर रखा है जो कि अभी विचाराधीन है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को अपीलांट/वादी भूमि पर निर्माण करने से नहीं रोका गया तो अपीलांट/वादी को पूरणीय क्षति होगी। ग्राम पंचायत को कार्यवाही करने से रोका जाना न्यायहित में आवश्यक है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि न्यायहित में विवादित आराजी पर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 27.12.2022 को निरस्त करने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 5067/3578 को आबादी भूमि का रियायती दर निःशुल्क आवंटन दिनांक 26.01.2021 को किया गया है। तहसीलदार, मसूदा के आदेश क्रमांक एल.आर./160 दिनांक 06.12.2022 की पालना में ग्राम मसूदा–द्वितीय के आराजी खसरा नम्बर 5067/3578 का मुस्तकिल बिन्दु कायम कर जरीब चलाकर सीमांकन किया गया है तथा वर्तमान में अम्बेडकर भवन निर्माण हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना नही पाये जाने के कारण अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में केवल अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश दिये है। माननीय राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
श्री श्री	

मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में अन्तरिम स्थगन आदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं, उक्त दिशा निर्देश के तहत् यह अपील माननीय न्यायालय में चलने योग्य नही है।मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 जा.दी. पेश किया था। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के प्रकरण में अप्रार्थीगण को सुनवाई पश्चात् अस्थायी निषेधाज्ञा का निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होने का अंकन किया गया। प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.12.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दर्ज रजिस्टर कर, प्रार्थी के अधिवक्ता को एक तरफा बहस अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुनी जाकर, इस स्टेज पर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं मानते हुए, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार, मसूदा के आदेश क्रमांकः/एलआर/2022/160 दिनांक 06.12.2022 की पालना मे ग्राम मसूदा द्वितीय के आराजी खसरा नम्बर 5067/3578 के बावत् पटवारी हल्का मसूदा--द्वितीय, पटवारी हल्का बरल–द्वितीय, भू–निरीक्षक जामोला, भू–निरीक्षक–मसूदा, ग्राम विकास अधिकारी, मसूदा, सरंपच ग्राम पंचायत, मसूदा के गठित राजस्व टीम के साथ मौका पर मुस्तकिल बिन्दु कायम कर जरीब चलाकर सीमांकन किया तथा जॉच की गई, जॉच रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 5067/3578 ग्राम पंचायत मसूदा के नाम राजस्व रेकार्ड मे होना पाया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में नहीं बनना पाया जाता है तथा ग्राम पंचायत भूमि पर बन रहे अम्बेडकर भवन निर्माण से अपीलांट को किसी प्रकार अपूरणीय क्षति उत्पन्न होना नही पाया जाता है। यदि अपीलांट के पक्ष में किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित किया जाता है तो ग्राम पंचायत, मसूदा को प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति कारित होगी। उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner